सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल–05

(भाग–ii)

(वर्ष 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2024 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
संख्या: 207151/XXX(2)/2024-E 59244
देहरादून: दिनांक 26 अप्रैल, 2024

अधिसूचना संख्या: 206981/XXX(2)/2024-E 59244 दिनांक 26 अप्रैल, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 500 प्रतियां कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोक्त।

आज्ञा से,

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

Signed by Lalit Mohan Rayal
Date: 26-04-2024 11:56:07

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या:206981/XXX(2)/2024-E 59244
देहरादून: दिनांक:26 अप्रैल, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024 है।

(2) यह दिनांक 13 अगस्त, 2002 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

नियम 4 का संशोधन — 2. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (जिसे एतस्मिन पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) के हिन्दी पाठ में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 4 में खण्ड (झ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(झ) "वर्ष" का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।	(झ) "वर्ष/चयन वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

नियम 8 का संशोधन — 3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 8 के उप नियम (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप–	(2) किसी एक चयन वर्ष में चयन के परिणामस्वरूप–
(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची	(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/04/2024 10:21 AM

/206981/2024

में दिखायी गयी हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जायं, वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के संबंध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके, दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्त–(1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथम ..... पदोन्नत व्यक्ति

द्वितीय ..... सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथम ..... पदोन्नत व्यक्ति

द्वितीय से चतुर्थ तक .....सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति

पांचवां ..... पदोन्नत व्यक्ति

छठा से आठवां ..... सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

प्रतिबन्ध यह है कि–

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त

सूची में दिखायी गयी हो;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गों से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय।

(3) जहां किसी एक चयन वर्ष में चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय, वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के संबंध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके, दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जायेगी।

दृष्टान्त–(1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथम ..... पदोन्नत व्यक्ति

द्वितीय ..... सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

(2) जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो, वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :–

प्रथम ..... पदोन्नत व्यक्ति

द्वितीय से चतुर्थ तक .....सीधे भर्ती किये गये व्यक्ति

पांचवां ..... पदोन्नत व्यक्ति

छठा से आठवां ..... सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी।

प्रतिबन्ध यह है कि–

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त

Generated from eOffice by BILAS GOOIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/04/2024 10:31 AM

व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों;

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जायं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे;

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जायं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये गये हों।

व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों;

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाय, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे जिसमें उनकी नियुक्तियां की जायं किन्तु उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे;

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जायं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये गये हों।

Signed by Anand Bardhan
Date: 25-04-2024 16:24:14

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/04/2024 10:21 AM

/206981/2024

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. 20698/ /XXX(2)/2024-E 59244 dated 26 April, 2024 for general information.

Government of Uttarakhand
Personnel and Vigilance Section-2
No. 20698/XXX(2)/2024-E 59244
Dehradun, Dated 26 April, 2024

Notification

Miscellaneous

In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of "the Constitution of India" the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend in the "The Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002" :-

The Uttarakhand Government Servants Seniority (Amendment) Rules, 2024

Short title and Commencement

1.(1) These rules may be called the "The Uttarakhand Government Servants Seniority (Amendment) Rules, 2024."

(2) It shall be deemed to have come into force from the 13th day of August 2002.

Amendment of rule 4

2. In English version of the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002 (hereinafter referred to as principal rules) in section 4 afters clause (h) a new clause (i) shall be inserted as follows, namely:-

(i) 'Year/Selection Year' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Amendment of rule 8

3. In the principal rules for the existing sub rule (2) and (3) of the rule 8 set out in column-1below the sub rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing Sub Rule	Column-2 Sub Rule hereby Substituted
(2) The seniority inter se of persons appointed on the result of any one selection-	(2) The seniority inter se of persons appointed on the result of selection in any one selection year-
(a) through direct recruitment, shall be the same as it is shown in the merit list prepared by the Commission or by the Committee, as the case may be;	(a) through direct recruitment, shall be the same as it is shown in the merit list prepared by the Commission or by the Committee, as the case may be;

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/04/2024 10:31 AM

(b) by promotion, shall be as determined in accordance with the principles laid down in rule 6 or rule 7, as the case may be, according as the promotion are to be made from a single feeding cadre or several feeding cadres.

(3) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment on the result of any one selection the seniority of promotees vis-a-vis direct recruits shall be determined in a cyclic order the first being a promotee as far as may be , in accordance with the quota prescribed for the two sources.

Illustrations--(1) Where the quota of promotees and direct recruits is in the proportion of 1:1 the seniority shall be in the following order :--

First ..... Promotee
Second ..... Direct recruits and so on.

(2) Where the said quota is in the proportion of 1:3 the seniority shall be in the following order :--

First ..... Promotee
Second to fourth ..... Direct recruits
Fifth ..... Promotee
Sixth to eight .....Direct recruits and so on.

Provided that—

(i) where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, for seniority, to subsequent year in which there are vacancies in accordance with the quota;

(ii) where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointment against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that

(b) by promotion, shall be as determined in accordance with the principles laid down in rule 6 or rule 7, as the case may be, according as the promotion are to be made from a single feeding cadre or several feeding cadres.

(3) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment on the result of selection in any one selection year the seniority of promotees vis-a-vis direct recruits shall be determined in a cyclic order the first being a promotee as far as may be , in accordance with the quota prescribed for the two sources.

Illustrations--(1) Where the quota of promotees and direct recruits is in the proportion of 1:1 the seniority shall be in the following order :--

First ..... Promotee
Second ..... Direct recruits and so on.

(2) Where the said quota is in the proportion of 1:3 the seniority shall be in the following order :--

First ..... Promotee
Second to fourth ..... Direct recruits
Fifth ..... Promotee
Sixth to eight .....Direct recruits and so on.

Provided that--

(i) where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, for seniority, to subsequent year in which there are vacancies in accordance with the quota;

(ii) where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointment against such unfilled vacancies are made in subsequent year or years, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so however, that

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/04/2024 10:21 AM

कार्यालय महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

आदेश संख्या/सेवा–3/ 12 /2024–25 दिनांक 10 अप्रैल, 2024

कार्यालय आदेश

मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के कार्मिकों की गोपनीय आख्या में अंकना के सम्बन्ध में महानिदेशालय के पत्र संख्या/सेवा–3/2184–87/2023–24 दिनांक 19 जुलाई, 2023 स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं, किन्तु फिर भी संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग की वर्ष 2021–22 व 2022–23 की ऑन लाइन गोपनीय आख्याओं में अद्यतन अंकना नहीं की गई है, जो अत्यंत खेदजनक स्थिति है। मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में विभिन्न पदों पर प्रारम्भिक निदेशालय/मण्डल स्तर पर पदोन्नति होनी है, जो गोपनीय आख्याओं के अभाव में लम्बित हैं।

शासन द्वारा शिथिलीकरण का लाभ 30 जून, 2024 तक देय है, यदि किसी कार्मिक की गोपनीय आख्या के आभाव में पदोन्नति प्रकिया में विलम्ब होता है या कोई कार्मिक पदोन्नति/शिथिलीकरण के लाभ से वंचित होता है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

अतः समस्त अधिकारियों (प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृतकर्ता) अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिनस्थों की विगत वर्षों (2021–22 व 2022–23) की लम्बित गोपनीय आख्याओं में तत्काल अंकना कर दें। साथ ही वर्ष 2023–24 की गोपनीय आख्याओं में भी निर्धारित समयान्तर्गत अंकना की जाय। अप्रैल माह का वेतन सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर ही आहरित किया जायेगा कि उनके द्वारा समस्त अधीनस्थों की गोपनीय आख्याओं में अंकना कर दी गई है।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./सेवा–3/ 97-107 /2024–25 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षाउत्तराखण्ड।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
4. अपर निदेशक (मा.शि./प्रा.शि.), गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि./प्रा.शि.), उत्तराखण्ड।
9. समस्त ख.शि.अ./उ.शि.अ., उत्तराखण्ड। (द्वारा मु.शि.अ.)
10. समस्त प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकृतकर्ता अधिकारी। (द्वारा मु.शि.अ.)

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

PVD2-ARVB8/8K2082/8K/2022+XKS8 [illegible]
98739/2024

38739/2024

संख्याः 198739 /XXX(2)/E-33080

प्रेषक,

ललित मोहन रयाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 14 मार्च,2024

विषयः स्थानांतरण सत्र 2024-25 में स्थानांतरण की अधिकतम सीमा निर्धारण आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ मे वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु विभागान्तर्गत प्रत्येक संवर्ग में पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि 15 प्रतिशत की यह सीमा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (एक), (दो), (तीन), (पांच), (छः) एवं (सात) से आच्छादित कार्मिकों पर लागू नही होगी अर्थात् प्रत्येक विभागान्तर्गत स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1)(ख) की श्रेणी (एक), (दो), (तीन), (पांच), (छः) एवं (सात) से आच्छादित कार्मिकों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों की सीमा तक पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों को उक्त 15 प्रतिशत की सीमा से 'ओवर एण्ड अबव' श्रेणी में मानते हुए स्थानान्तरित किया जा सकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता देय नही होगा। जिन संवर्गों मे पात्रता सूची में 15 प्रतिशत के अन्तर्गत एक भी कार्मिक आगणित नही होता हो, तो ऐसे संवर्गों में शतप्रतिशत अनिवार्य स्थानान्तरण किये जायेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण सत्र 2024-25, हेतु लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सामान्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

Signed by Lalit Mohan Rayal

संख्याः /XXX(2)/E-33080 तद्दिनांक

Date: 14-03-2024 14:33:27

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

संख्या–194984 /XXIV–2–2024–27(02)/2022

/194984/2024

प्रेषक,

विकास कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक: 01 मार्च, ~~फरवरी~~, 2024

विषयः– मृतक आश्रित प्रकरणों में दिशा–निर्देश दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक सेवायें–3/18/15850, दिनांक 10.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मृतक आश्रित प्रकरणों के संबंध में शासन के पत्र संख्या–135239, दिनांक 05.07.2023 के क्रम में उक्त प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में परामर्श/निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– विषयगत प्रकरण के संबंध में शासन के उक्त पत्र दिनांक 05.07.2023 के द्वारा उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) के नियम–5(1) का उल्लेख करते हुये मृतक आश्रितों के सेवायोजन संबंधी प्रकरणों को उक्त नियमावली में विहित प्राविधानों के अनुसार निस्तारित किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

3– तत्क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) में विहित प्राविधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि मृतक आश्रितों के सेवायोजन संबंधी प्रकरणों में मृत सरकारी सेवक का पति अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के सेवायोजित न होने पर ही उक्त नियमावली में विहित प्राविधानानुसार कुटुम्ब के किसी एक सदस्य को सेवायोजन प्रदान किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उक्त नियमावली द्वारा मृत सरकारी सेवक का पति अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) के सेवायोजित न होने तथा कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के सेवायोजित होने पर मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के दूसरे सदस्य को उक्त नियमावली में विहित प्राविधानों के अधीन सेवायोजन प्रदान किये जाने से वंचित नहीं किया गया है।

4– अतः उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 10.01.2024 में किये गये अनुरोध के क्रम में उक्तानुसार अवगत कराते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मृतक आश्रित प्रकरणों को उत्तराखण्ड सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली, 1974 (यथा संशोधित) में विहित प्राविधानों के अनुसार निस्तारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Vikash Kumar Srivastava
Date: 01-03-2024 12:22:18

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या168722/XXX(2)/2023-E 49520
देहरादून, दिनांक 15 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

"उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2023"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
	(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 6 का प्रतिस्थापन	2.	"उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004" के नियम 6 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6 . भर्ती का स्रोत– (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी.	6 . भर्ती का स्रोत– (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति/उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी;
(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल	(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 13/11/2023 10:31 AM

पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी;	पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत, जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत, जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी;
परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।	परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय के समूह 'घ' में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों, तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में समूह 'घ' से पदोन्नति हेतु चिन्हित रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा।
परन्तु यह और कि चयन वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के लिये अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 45 प्रतिशत तक की रिक्तियों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 25 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 20 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से भरा जा सकता है।	
(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा।	(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा।
	परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय के वाहन चालकों में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में वाहन चालक से पदोन्नति हेतु चिन्हित

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 15/11/2023 10:51 AM

टिप्पणी– लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कार्मिक की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

जहाँ टंकक संवर्ग में भर्ती की जानी हो, वहां उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जाएगी। टंकण परीक्षा में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

रिक्त पदों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।

टिप्पणी– लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जाएगी। टंकण परीक्षा में 2400 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

Generated from eOffice by ...

68722/2023

आज्ञा से,

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 14-11-2023 17:00:20

(शैलेश बगौली)
सचिव।

enerated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 15/11/2023 10:01 AM

I/193325/2024

उत्तराखण्ड शासन
सू0 प्रौ0,सुराज एवं वि0 प्रौ0 अनु0–03
संख्याः I/ 193325/E-35664/24/XXXIV(3)/-20(01)21 T.C
देहरादून, दिनांकः 26 फरवरी, 2024

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य के सेवानिवृत्त/सेवारत राजकीय कार्मिकों और उनके परिवार के सदस्यों (आश्रितों) को ऐलोपैथी एवं आयुष पद्धति (आयुर्वेदिक/सिद्धा/नैचुरोपैथी एवं यूनानी पद्धति सम्मिलित) से उपचार कराये जाने की दशा में चिकित्सकीय सुविधा/लाभ प्रदान करने हेतु संचालित **State Government Health Scheme (SGHS)** के अन्तर्गत बीजकों के भुगतान हेतु विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है:–

(1) उत्तराखण्ड के समस्त विभागों से सम्बन्धित सेवायें :–

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय – सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	गोल्डन कार्ड योजना (SGHS) के अन्तर्गत कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत दावों/मेडिकल बिलों को ऐलोपैथी पद्धति से उपचार कराये जाने की दशा में चिकित्साधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा आयुष पद्धति से उपचार की दशा में निदेशक, आयुर्वेद/होम्योपैथ/यूनानी/सिद्धा/नेचुरोपैथी को प्रेषित कराना (जैसी भी स्थिति हो)	कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी	05 दिवस	कार्यालयाध्यक्ष	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	चिकित्साधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/निदेशक, आयुर्वेद/होम्योपैथ/यूनानी/सिद्धा/नेचुरोपैथी से प्राप्त प्रतिहस्ताक्षरित मेडिकल बिलों पर स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही करना (जैसी भी स्थिति हो)				
	(क) रू0 1,50,000 तक	कार्यालयाध्यक्ष	10 दिवस	संयुक्त/अपर निदेशक अथवा विभाग का समकक्ष अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

Generated from eOffice by ALOK CHAUDHARY, ARO-IT Section 1-AC, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Information Technology Department on 26/02/2024 10:54 AM

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय —सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
2	(छ) रू0 1,50,000 से अधिक एवं रू0 5,00,000 तक	कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो	10 दिवस	शासन में प्रशासनिक विभाग का अपर सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
	(ज) रू0 5,00,000 से अधिक	शासन में प्रशासनिक विभाग के अपर सचिव	10 दिवस	सचिव / प्रमुख सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	गोल्डन कार्ड योजना (SGHS) के तहत स्वीकृत मेडिकल बिलों को भुगतान हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को ऑनलाईन प्रेषित करना	विभाग का आहरण —वितरण अधिकारी /अपर निदेशक अथवा समकक्ष अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो)	07 दिवस	संयुक्त / अपर निदेशक अथवा विभाग का समकक्ष अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

(2) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सेवायें:—

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय—सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	राजकीय कार्मिक /पेंशनर्स के धनराशि रू0 1.50 लाख तक की सीमा के दावों का परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर	जिला /उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / इस हेतु नामित अधिकारी।	1. शासनादेश दिनांक: 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक: 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्साप्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि— 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक: 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों /जारी दिशा—निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि — 30 दिवस।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

Generated from eOffice by ALOK CHAUDHARY, ARO-IT Section 3-AC, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Information Technology Department on 24/03/2024 10:54 AM

1/193325/2024

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
2	राजकीय कार्मिक / पेंशनर्स के धनराशि रू0 1.50 लाख से अधिक एवं रू0 3.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण /प्रतिहस्ताक्षर	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल एवं कुमांऊ मण्डल।	1. शासनादेश दिनांक: 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक: 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि – 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक: 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक: 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि – 30 दिवस।	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	राजकीय कार्मिक / पेंशनर्स के धनराशि रू0 3.00 लाख से अधिक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि – 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों / जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें दावा प्राप्ति के निम्न समयावधि अनुसार परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। • धनराशि रू0 3.00 से अधिक एवं रू0 5.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु समयावधि – 40 दिवस • धनराशि रू0 5.00 लाख से अधिक एवं 10.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु समयावधि – 55 दिवस • रू0 10.00 लाख से अधिक तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु समयावधि – 70 दिवस	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

/193325/2024

(3) (क) आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेदिक/सिद्धा/नैचुरोपैथी एवं यूनानी सेवायें विभाग से सम्बन्धित सेवायें:–

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स के धनराशि रू0 1.50 लाख तक की सीमा के दावों का परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर	कार्यालयाध्यक्ष/जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि – 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक: 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक: 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि – 30 दिवस।	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स के धनराशि रू0 1.50 लाख से अधिक एवं रू0 5.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर	विभागाध्यक्ष आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि – 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक: 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक: 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि – 30 दिवस।	प्रशासकीय विभाग के अपर सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

Generated from eOffice by ALOK CHAUDHARY, ARO-IT Section 3-AC, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Information Technology Department on 26/03/2024 10:54 AM

I/193325/2024

क्र० सं०	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
3	राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स के धनराशि रू0 5.00 लाख से अधिक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर	प्रशासकीय विभाग के अपर सचिव	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि – 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि – 30 दिवस।	प्रशासकीय विभाग के सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

(3) (ख) आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होम्योपैथिक सेवायें विभाग से सम्बन्धित सेवायें:–

क्र० सं०	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का तकनीकी परीक्षण एवं अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना	उप निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/ शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि – 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि – 30 दिवस।	निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

Generated from eOffice by ALOK CHAUDHARY, ARO-IT Section 3-AC, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Information Technology Department on 26/02/2024 10:54 AM

/193325/2024

(4) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से सम्बन्धित सेवा:—

क्र0 सं0	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी	समय–सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के तहत विभाग से प्राप्त मेडिकल बिलों पर भुगतान की कार्यवाही करना।	वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक	15 दिवस	निदेशक (क्लेम मैनेजमेंट)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिवस की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से की जायेगी।
4. उपरोक्त उल्लिखित सेवायें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

Signed by Ashish Kumar Srivastava
Date: 23-02-2024 17:02:12
(डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव,

<u>संख्या: I/ 193325/E-35664/24/XXXIV(3)/-20(01)21 T.C तद दिनांकित।</u>

<u>प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—</u>

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. सचिव, सेवा का अधिकार आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना की 200 प्रतियां मुद्रित कराकर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
12. मीडिया सेन्टर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Alok Kumar Singh
(आलोक कुमार सिंह)
अपर सचिव
Date: 23-02-2024 17:25:31

Generated from eOffice by ALOK CHAUDHARY, ARO-IT Section 3-AC, ASSISTANT REVIEW OFFICER, Information Technology Department on 24/02/2024 10.54 AM

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या: १९३५४८/XXX(2)/2024–E 61441
देहरादून, दिनांक 26 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

"उत्तराखण्ड (उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993] (यथासंशोधित)" अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 द्वारा सीधी भर्ती के प्रक्रम पर दिव्यांगों को राज्याधीन सेवाओं एवं पदों में रिक्तियों का 03 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया गया था।

2. दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता विषयक भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं 26.04.2016 में उल्लिखित प्रावधानों एवं दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10.11.2010, कार्यालय ज्ञाप संख्या–232/XXX(2)/2018/30(05)/2014, दिनांक 26.09.2018 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–392/XXX(2)/2020/30(05)/2014, दिनांक 12.11.2020 तथा पार्श्वांकित शासनादेशों के माध्यम से कतिपय दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं, जिनमें मुख्यतः दिव्यांगों हेतु आरक्षण की मात्रा, दिव्यांगों की परिभाषा, आरक्षण के लिए दिव्यांगता की मात्रा, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, आरक्षण गणना रोस्टर, आयु सीमा में छूट आदि का प्राविधान किया गया है।

क्रमांक	शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप
1.	17/पी.आई./कार्मिक–2/2003, दिनांक 03.06.2003
2.	432/XXX(2)/2005, दिनांक 14.03.2006
3.	1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10.11.2010
4.	32/XXX(2)/2014–03(11)2012, दिनांक 06.03.2014
5.	209/XXX(2)/2017, दिनांक 03.07.2017
6.	232/XXX(2)/2018–30(05)2014, दिनांक 26.09.2018
7.	392/XXX(2)/2020–30(05)2014, दिनांक 12.11.2020

3. भारत सरकार द्वारा दिनांक 19.04.2017 को प्रख्यापित निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–312/XXX(2)/17/30 (5)/ 2014–टी.सी., दिनांक 27.10.2017 द्वारा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29.12.2005 एवं दिनांक 26.04.2016 को तद्नुसार राज्याधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्तियों/पदोन्नतियों हेतु लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत सीधी भर्ती के प्रक्रम पर दिव्यांगता की परिभाषा को परिभाषित करते हुए उनकी श्रेणी को 05 भागों में विभाजित कर पूर्व अनुमन्य आरक्षण को 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत कर दिया गया है।

4. निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की अनुमन्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–36035/02/2017–Estt(Res), दिनांक 15.01.2018 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

5. भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा उसके अनुक्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–312/XXX(2)/17/30(5)/2014–टी.सी., दिनांक 27.10.2017 तथा भारत सरकार के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.01.2018 द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देश के कारण कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा निर्गत पार्श्वांकित कार्यालय ज्ञाप/शासनादेशों में कतिपय प्राविधान वर्तमान में अप्रासंगिक हो गये हैं। दिव्यांगजनों को पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–36012/1/2020–स्था.(Res–II) दिनांक 17.05.2022 द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं। अतः भारत सरकार के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप के क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत पार्श्वांकित कार्यालय ज्ञाप/शासनादेशों को अधिक्रमित

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

करते हुए पदोन्नति के प्रक्रम पर राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मात्रा 03 प्रतिशत से बढ़ाकर 04 प्रतिशत किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये जा रहे हैं :—

1. दिव्यांगों हेतु आरक्षण की मात्रा :—

समूह 'घ' से समूह 'ग', समूह 'ग' से समूह 'ख' तथा समूह 'ख' से समूह 'क' के सबसे निचले पायदान के पदों पर जिसमें सीधी भर्ती का अंश 75 प्रतिशत से अधिक न हो, 04 प्रतिशत रिक्तियाँ, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी, जिसमें से एक–एक प्रतिशत रिक्तियाँ खण्ड–क, ख, ग के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत रिक्तियाँ खण्ड–घ एवं ङ के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए, उन दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पहचाने गए पदों में आरक्षित होंगी अर्थात्:—

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि;
(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास;
(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता;
(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता;
(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर–अंधता सम्मिलित है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति के पद पर नियुक्ति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की प्रमाणिकता की जांच/पुनर्जांच करायी जा सकती है।

2. दिव्यांगों हेतु आरक्षण से छूट :—

यदि कोई विभाग कार्य की प्रकृति के आधार पर किसी प्रतिष्ठान को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान से अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो वह ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को संदर्भ प्रेषित कर सकता है। छूट प्रदान किये जाने के बारे में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विचार किया जाएगा। मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त समाज कल्याण विभाग द्वारा छूट प्रदान किये जाने विषयक आदेश निर्गत किये जाएंगे।

3. केवल निःशक्तता के आधार पर पदोन्नति से इंकार नहीं :—

(क) किसी भी व्यक्ति को मात्र उसकी निःशक्तता के आधार पर पदोन्नति से मना नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कार्मिक सेवा में रहते हुए दिव्यांग हो जाता है तो, न तो उसे सेवा से निकाला जाएगा और न ही उसके रैंक में कोई अवनति की जाएगी। यदि उक्त कार्मिक अपनी दिव्यांगता के कारण अपने धारित पद के दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है, तो समान वेतनमान एवं सेवाओं के साथ किसी अन्य पद पर शिफ्ट किया जा सकता है। यदि कार्य की प्रकृति के आधार पर उक्त कार्मिक को किसी अन्य पद पर समायोजन किया जाना सम्भव न हो तो, उसे एक अधिसंख्य पद पर तब तक रखा जाएगा जब तक कि उसके लिए उपयुक्त पद उपलब्ध न हो जाए अथवा अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त न हो जाए। यदि उक्त दिव्यांग व्यक्ति, जिसके लिए अधिसंख्य पद सृजित किया गया है, अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नति के लिए अर्ह हो जाए तथा उसे किसी अन्य पद के सापेक्ष समायोजित किया जाना सम्भव न हो तो, जिस अधिसंख्य पद के सापेक्ष वह कार्यरत है, को समर्पित करते हुए अगले उच्च स्तर का एक अधिसंख्य पद सृजित किया जाएगा।

(ख) यदि कोई कार्मिक सेवा में आने के पश्चात् दिव्यांग हो जाता है, तो वह दिव्यांगजन हेतु प्रोन्नति में अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा। किन्तु केवल ऐसे कार्मिक ही पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

(ग) अस्थायी दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांग आरक्षण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

4. उपयुक्त नौकरियों/पदों की पहचान :–

समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–48/XVII–A–3/2023–01(11)/विoकo/2017 दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नौकरियों/पदों का चिह्नांकन कर लिया गया है। सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा दिव्यांगजन को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश का उपयोग किया जाएगा।

5. एक, दो अथवा तीन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पहचाने गये पदों में आरक्षण :–

यदि कोई पद दिव्यांगता की एक श्रेणी के लिए ही उपयुक्त चिह्नित किया गया हो, तो उस पद में आरक्षण उस दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। ऐसे मामलों में चार प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा तथा उस पद में पूर्ण आरक्षण उस दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसके लिए वह चिह्नित किया गया हो। इसी तरह किसी पद के दिव्यांगता की दो या तीन श्रेणियों के लिए चिह्नित किये गये होने की स्थिति में जहाँ तक सम्भव हो, आरक्षण दिव्यांगता की उन दोनों या तीनों श्रेणियों (जैसी स्थिति हो) के व्यक्तियों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाएगा, तथापि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अधिष्ठान में आरक्षण, विभिन्न पदों में इस तरह विभाजित किया जाय कि दिव्यांगता की सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को यथासम्भव समान प्रतिनिधित्व मिले। आरक्षण प्रदान करने हेतु 25 प्वाइंट के अन्तराल पर बनाए गए 100 प्वाइंट के रोस्टर का प्रयोग किया जाएगा अर्थात् दिव्यांग कार्मिक को उसके लिए निर्धारित प्वाइंट्स पर ही आरक्षण प्रदान किया जाएगा न कि समूहबद्ध तरीके से।

6. अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति :–

वरिष्ठता–सह–फिटनेस के आधार पर पदोन्नति की स्थिति में यदि दिव्यांग व्यक्ति प्रोन्नति हेतु अन्यथा अर्ह है तथा पदोन्नत व्यक्तियों की अंतिम सूची में सम्मिलित है, तो उसे अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जाएगी अर्थात दिव्यांग व्यक्ति को, केवल इस आधार पर कि कोई रिक्ति दिव्यांगजन की श्रेणी के लिए चिह्नित नहीं है, पदोन्नति से मना नहीं किया जा सकता है।

मानदण्डों में बिना किसी शिथिलीकरण के, अपनी ही योग्यता के आधार पर, अन्य उम्मीदवारों के साथ चुने गए दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति, रिक्तियों के आरक्षित भाग में समायोजित नहीं किए जाएंगे। आरक्षित रिक्तियां, दिव्यांगता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों में से अलग से भरी जाएंगी जिनमें ऐसे शारीरिक रूप से वे दिव्यांग उम्मीदवार सम्मिलित होंगे जो योग्यता सूची में अन्तिम उम्मीदवार से योग्यता में नीचे होंगें, परन्तु नियुक्ति हेतु अन्यथा, यदि आवश्यक हो तो शिथिलीकृत मानदण्डों से उपयुक्त पाये जायेंगे।

7. उपयुक्तता मानदण्डों में छूट :–

यदि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदण्डों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं (एलडीसीई/डीई आदि द्वारा पदोन्नति के मामले में), तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदण्डों में शिथिलता देकर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जाय बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हों। किन्तु दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित मानदण्डों में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित सामान्य मानदण्डों में सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु चाहे वे सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित हों, एक समान शिथिलता प्रदान की जाएगी, श्रेणीवार पृथक–पृथक शिथिलता अनुमन्य नहीं होगी।

8. आरक्षण हेतु रिक्तियों की संख्या की गणना :–

जिन संवर्गों में दिव्यांगजन को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू है वहां समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण की गणना, अधिष्ठान में समूह

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 24/02/2024 04:44 PM

'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' पदों में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के आधार पर की जायेगी, यद्यपि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की पदोन्नति, केवल उनके लिए उपयुक्त चिह्नित किये गये पदों पर ही की जायेगी।

9. <u>आरक्षण लागू करना–रोस्टरों का रख–रखाव :–</u>

(क) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण निर्धारित करने/लागू करने के लिए सभी अधिष्ठान सीधी भर्ती की भांति, संलग्नक–1 में दिये गये प्रपत्र के अनुसार, समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के अन्तर्गत प्रत्येक संवर्ग के लिए पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के लिए पृथक–पृथक रोस्टर रजिस्टर बनाये जायेंगे।

(ख) प्रत्येक रजिस्टर में 100 बिन्दुओं के चक्र होंगे और 100 बिन्दुओं का प्रत्येक चक्र चार खण्डों में विभाजित होगा जिसमें निम्नलिखित बिन्दु होंगे:–

प्रथम खण्ड : बिन्दु संख्या – 1 से 25
द्वितीय खण्ड : बिन्दु संख्या – 26 से 50
तृतीय खण्ड : बिन्दु संख्या – 51 से 75
चतुर्थ खण्ड बिन्दु संख्या – 76 से 100

(ग) रोस्टर के 1, 26, 51 और 76 संख्या के बिन्दु दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों लिए आरक्षित चिन्हित किये जाएंगे जिनमें दिव्यांगता की चार श्रेणियों ('क', 'ख', 'ग' एवं 'घ/ङ') के लिए एक–एक बिन्दु होगा। नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि क्रमांक 1, 26, 51, तथा 76 पर पड़ने वाली रिक्तियाँ दिव्यांगों के सम्बन्धित श्रेणी के लिए चिह्नित हों, यद्यपि चयनित अभ्यर्थियों का रोस्टर रजिस्टर में स्थान निश्चित करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा अर्थात किस श्रेणी के दिव्यांग की नियुक्ति पहले होगी इसका निर्णय विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।

(घ) इस बात पर विचार किए बिना कि कौन सी रिक्तियां दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हैं, सम्पूर्ण रिक्तियों की सूचना/विवरण संगत रोस्टर में अंकित की जाएगी। यदि बिन्दु संख्या–1 पर आने वाला पद, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं पहचाना गया है अथवा नियुक्ति प्राधिकारी इसे दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरना वांछनीय नहीं समझता है अथवा इसे किसी भी कारण से दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा भरा जाना सम्भव नहीं है तो बिन्दु संख्या–2 से 25 तक किसी भी बिन्दु पर आने वाली किसी रिक्ति को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति के लिए आरक्षित माना जाएगा और इसे तद्नुसार भरा जाएगा। इसी प्रकार बिन्दु संख्या– 26 से 50 तक अथवा 51 से 75 तक अथवा 76 से 100 तक, किसी भी बिन्दु पर आने वाली रिक्ति को दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से भरा जाएगा। बिन्दु संख्या–1, 26, 51 और 76 को आरक्षित रखने का उद्देश्य उस श्रेणी के प्रथम उपयुक्त रिक्ति को उस श्रेणी में दिव्यांग अभ्यर्थी से भरा जाना जिसके लिए उक्त पद चिह्नित किया गया हो।

(ङ) इस बात की सम्भावना है कि बिन्दु संख्या–1 से 25 तक कोई भी रिक्ति, दिव्यांगता से ग्रस्त किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त न हो, तो उस स्थिति में बिन्दु संख्या– 26 से 50 तक 02 रिक्तियाँ, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी। यदि बिन्दु संख्या 26 से 50 तक की रिक्तियाँ, किसी भी श्रेणी के लिए उपयुक्त नहीं हो तो बिन्दु 51 से 75 तक के तीसरे खण्ड में से तीन रिक्तियाँ आरक्षित रिक्तियों के रूप में भरी जाएंगी। इसका अभिप्राय यह है कि यदि रोस्टर के किसी खण्ड विशेष में कोई रिक्ति आरक्षित नहीं की जा सकती हो तो वह रिक्ति रोस्टर के अगले खण्ड में ले जायी जायेगी।

(च) रोस्टर के सभी 100 बिन्दु पूरे होने के पश्चात् 100 बिन्दुओं का एक नया चक्र शुरू होगा।

(छ) यदि एक वर्ष में रिक्तियों की संख्या केवल इतनी है कि उसमें केवल एक खण्ड (25 रिक्तियाँ) अथवा दो खण्ड (50 रिक्तियाँ) ही आच्छादित हैं तो दिव्यांग श्रेणियों के व्यक्तियों का समायोजन रोस्टर बिन्दु के अनुसार होना चाहिए। परन्तु यदि उक्त रिक्ति किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए चिह्नित नहीं है, तो इसका

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

विवेकाधिकार नियुक्ति प्राधिकारी में निहित होगा कि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की किस श्रेणी को पहले समायोजित किया जाय तथा इस बात का निर्णय पद के स्वरूप, संबंधित ग्रेड/पद इत्यादि में दिव्यांगता से ग्रस्त विशिष्ट श्रेणी के प्रतिनिधित्व के स्तर के आधार पर किया जायेगा।

10. मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र :-

दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षण के प्रावधानों का सही सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के क्रम में मांगकर्ता प्राधिकारी, पदोन्नति करने वाली एजेंसी/डी0पी0सी0 आदि, के माध्यम से अथवा अन्य रीति से पदों को भरने हेतु मांग पत्र भेजते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे:-

प्रमाणित किया जाता है कि यह मांग पत्र भेजते समय उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित)] तथा दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस मांग पत्र में सूचित उपर्युक्त रिक्तियाँ 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर के चक्र संख्या.....के बिन्दु संख्या....... पर आती हैं और उनमें से .... रिक्तियाँ दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

दिव्यांगजन आरक्षण हेतु निर्धारित रिक्ति के सापेक्ष मौलिक नियुक्ति प्रदान करने के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी दिव्यांगजन आरक्षण का लाभ पाने का पात्र है।

11. रिक्तियों हेतु नोटिस:-

किसी निर्धारित/चिह्नित पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु दिव्यांग व्यक्तियों को उचित अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में, रोजगार केन्द्रों, बोर्डों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, डी0पी0सी0 आदि को नोटिस भेजते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जायेंगी:-

(i) दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रिक्ति को स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(ii) ऐसे पदों में रिक्तियों के मामलों में जिन्हें दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिह्नित किया गया हो, चाहे रिक्तियां आरक्षित हों या न हों, यह उल्लेख किया जाय कि सम्बद्ध पद सम्बद्ध दिव्यांगता की श्रेणियों यथा (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास; (ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निशक्तता; (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता के लिए उपयुक्त पहचाना गया है। पद के कार्यात्मक वर्गीकरण तथा ऐसे पद के सम्बन्ध में कार्य निष्पादन हेतु शारीरिक अपेक्षाओं को भी स्पष्टतः दर्शाया जाय।

(iii) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिह्नित किये गये पदों की रिक्तियों के मामले में यह दर्शाया जाय कि सम्बन्धित पद (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि; (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास; (ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता; (घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता; (ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों जैसा भी मामला हो के लिए चिह्नित किया गया है और उपयुक्त श्रेणी/श्रेणियों से संबंधित दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति जिनके लिए पद उपयुक्त पहचाना गया है, को एलडीसीई (Limited Departmental Competitive Examination) से भरे जाने हेतु आवेदन करने की अनुमति है, भले ही उनके लिए कोई रिक्ति आरक्षित हो या न हो। ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता के सामान्य मानकों द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्ति हेतु चुने जाने के लिए विचार किया जाएगा।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

(IV) दिव्यांगजन के लिए निर्धारित आरक्षण के लाभ हेतु केवल विधिक रूप से मान्य बेंचमार्क दिव्यांगता का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा। अस्थायी रूप से दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

12. पदोन्नति के मामले में आरक्षण की आपसी अदला–बदली और अग्रेनीत किया जाना:–

(क) आरक्षित रिक्तियों को योग्यता के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरते समय सामान्य विचारण के क्षेत्र में आने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों की पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। जहां सामान्य विचारण क्षेत्र में दिव्यांगों की उपयुक्त श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, वहां विचारण क्षेत्र रिक्तियों की संख्या का पांच गुना बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ाये गए विचारण क्षेत्र में आने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। यदि बढ़ाए गए विचारण क्षेत्र में भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो यदि सम्भव हो तो आरक्षण की अदला–बदली की जा सकती है, ताकि पद को दिव्यांगता की अन्य श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जा सके। यदि आरक्षण द्वारा पद को भरा जाना सम्भव नहीं हो तो पद को दिव्यांग व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाय तथा आरक्षण को अगले तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेनीत कर दिया जाय जिसके बाद यह समाप्त हो जाएगा।

(ख) अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त पात्र उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति देने पर विचार किया जाएगा। यदि दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी का कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो सम्बन्धित श्रेणी के दिव्यांगता से ग्रस्त अतिरिक्त उम्मीदवारों को आवश्यक सीमा तक वरिष्ठता सूची में नीचे जाने पर विचार किया जाएगा, बशर्ते वे पात्र हो, और यह पद उनके लिए चिह्नित किया गया हो। यदि विस्तारित पात्रता क्षेत्र में भी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उक्त रिक्ति भरी नहीं जाएगी तथा आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत कर दी जायेगी। यदि आगामी चयन वर्ष में भी चिह्नित श्रेणी का दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उसे अन्य श्रेणी के लिए चिह्नित दिव्यांगता से बदला जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी दिव्यांग आरक्षण से रिक्ति भरा जाना सम्भव न हो तो रिक्ति को आगामी 02 वर्षों तक के लिए अग्रेनीत कर दिया जाएगा, जो उसके बाद समाप्त हो जाएगी।

(ग) यदि सभी रिक्तियों के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो पुराने अग्रेनीत किये गये पदों को पहले भरा जाएगा और वर्तमान रिक्तियों को यदि भरा नहीं गया है, तो अग्रेनीत कर दिया जाएगा।

13. दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के अभ्यावेदनों से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट :–

प्रत्येक विभाग द्वारा दिव्यांगजन की प्रोन्नति से सम्बन्धित आंकड़े सीधी भर्ती की भांति ही तैयार कर समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराए जायेंगे।

14. दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए नोडल अधिकारी :–

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मामलों को देखने के लिए विभाग में नियुक्त नोडल अधिकारी दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए भी नोडल अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे और इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे।

15. दिव्यांगजन की शिकायतों के निवारण हेतु व्यवस्था :–

I. प्रत्येक विभाग द्वारा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) नियुक्त किया जायेगा।

II. शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा दिव्यांगजन की शिकायतों का एक रजिस्टर रखा जायेगा जिनमें निम्नलिखित विवरण होंगे:–

(क) शिकायत की तिथि
(ख) शिकायतकर्ता का नाम
(ग) विभाग/अधिकारी का नाम जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है
(घ) शिकायत का सार

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

(ड) शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायत निस्तारण की तिथि
(च) अन्य विवरण

III. नियुक्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के भेद–भाव से क्षुब्ध/असंतुष्ट कोई भी दिव्यांग व्यक्ति सम्बन्धित शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

IV. शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा उक्त शिकायत की 02 माह के अंदर 02 जांच की जायेगी तथा उसके निष्कर्षों से शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

16. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी :–

दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा। राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य संबंधित श्रेणी की दिव्यांगता का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।

मेडिकल बोर्ड, समुचित जांच पड़ताल के पश्चात् स्थायी दिव्यांगता के ऐसे मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करेगा, जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश न हो। मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों में प्रमाण–पत्र की वैधता की अवधि इंगित करेगा जिनमें दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की गुंजाइश हो। दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने से तब तक इंकार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाय। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है। नियोक्ता प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्ति पर आरम्भिक नियुक्ति के समय यह यह सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का पात्र है।

अतः सभी विभाग अपने नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में उपर्युक्त अनुदेशों को लाएंगे।

संलग्नक : यथोक्त।

Signed by Anand Bardhan
Date: 26-02-2024 13:02:14

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 193548/XXX(2)/2024–E 61441 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
13. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

14. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
15. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
17. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Lalit Mohan Rayal
Date: 26-02-2024 14:32:38

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 3-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

संलग्नक–1

विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर

भर्ती का वर्ष	साइकिल सं. और प्वाइंट सं.	पद का नाम	क्या विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पद उपयुक्त पाया गया है।					अनारक्षित अथवा आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम नियुक्ति की तारीख	क्या नियुक्त किया गया व्यक्ति दृ.हि. /श्र. वि. है अथवा इनमें से कोई नहीं	अभियुक्ति यदि कोई हो
			(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलनक्रिया सम्बन्धी निशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निशक्तता, विशिष्ट अधिगम निशक्तता और मानसिक अस्वस्थता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर–अंधता सम्मिलित है				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 26/02/2024 04:44 PM

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे०आ०–सा०नि०) अनुभाग–7
संख्याः/192925/xxvii(7)/ई–50417/2023
देहरादून, दिनांक 23 फरवरी, 2024

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 204/xxvii(7)/25(03)2013 दिनांक 28.10.2016 के द्वारा राजकीय विभागों के वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे में स्टाफिंग पैटर्न लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में राजकीय विभागों के वैयक्तिक सहायक संवर्ग के ढांचे में निम्नवत् संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान/ ग्रेड वेतन	पुनरीक्षित वेतनमान/ वेतन लेवल	वर्तमान में स्थापित स्टाफिंग पैटर्न	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न
1.	वैयक्तिक सहायक	5200–20200 ग्रेड वेतन–2800	29200–92300 लेवल–5	44	44
2.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	9300–34800 ग्रेड वेतन–4200	35400–112400 लेवल–6	35	32
3.	वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड वेतन–4600	44900–142400 लेवल–7	15	11
4.	वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड वेतन–4800	47600–151100 लेवल–8	–	07
5.	मुख्य वैयक्तिक अधिकारी	15600–39100 ग्रेड वेतन–5400	56100–177500 लेवल–10	06	06

2. सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्तानुसार सुसंगत सेवा नियमावलियों में यथाप्रक्रिया संशोधन कर लिया जायेगा।
3. उक्तानुसार स्टाफिंग पैटर्न लागू किए जाने हेतु प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से शासनादेश निर्गत किए जाएंगे।
4. उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप सं० 204/xxvii(7)/25(03)2013 दिनांक 28.10.2016 सपठित शासनादेश संख्या–131/XXVII(7) 35(3)/2013 दिनांक 14.07.2016 एवं शासनादेश संख्या–875/XXVII(7) न०प्रति०/2011 दिनांक 08.03.2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 22-02-2024 17:42:30

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

<u>संख्याः192925/xxvii(7)/ई–50417/2023, तद्दिनांकित।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन व हकदारी, देहरादून।

आज्ञा से,
Signed by Ganga Prasad
Date: 22-02-2024 17:44:16
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by SANDEEP KUMAR, RO-Finance Section 7 -SK, REVIEW OFFICER, Finance Department on 21/02/2024 10:07 AM

संख्या: 183994 /XXX(2)/2024/E-33080

प्रेषक,

शैलेश बगौली
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 23 जनवरी, 2024

विषय: उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में संशोधन विषयक।

महोदय,

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :–

इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा,

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन / विचलन / छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन / विचलन / छूट अनुमन्य होगा।

अतः उपरोक्त समिति द्वारा प्रदत्त संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(3) के सन्दर्भ में सुगम से सुगम पारस्परिक स्थानान्तरण भी किया जा सकेगा किन्तु ऐसे कार्मिकों की वर्तमान सुगम की सेवा अवधि, पारस्परिक स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती स्थान में जोड़ी जायेगी और दोनों स्थानों में जोड़कर कुल चार वर्ष की सेवा होने के उपरान्त कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–7(क) की श्रेणी में माने जायेंगे।

भवदीय,

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 22-01-2024 14:35:16

(शैलेश बगौली)
सचिव।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

Signed by Shailesh ... SO-KARMIK SECTION 2-BG SECTION OFFICER: Personnel and Vigilance Department on 23/01/2024 05:42 PM

2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

4. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।

5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
23.01.24
(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 23/01/2024 01:40 PM

SE2-MISC/SM/41/2022-XXIV-B-2-Secondary Education Department

I/185251/2024

संख्या– 185251/XXIV–2/24–07(08)/2011

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 25 जनवरी, 2024

विषय– विद्यालयी शिक्षा विभाग के कार्यालयों/विद्यालयों हेतु सृजित आउटसोर्स के पदों भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक–06.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विद्यालयी शिक्षा विभाग के कार्यालयों/विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को आउटसोर्स के पदों में परिवर्तित करने सम्बन्धी शासन के पत्र दिनांक–24.08.2023 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

02– आपके उपर्युक्त संदर्भगत पत्र में की गयी अपेक्षा के क्रम में विषयगत प्रकरण पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग तथा श्रम विभाग के परामर्श अनुसार सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् अनुसार कार्यवाही सम्पादित करने हेतु निर्देशित किये जाने का एतद्द्वारा निर्णय लिया गया है:–

1. उत्तराखण्ड के शासकीय विभाग में उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से मैन पावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैन पावर) की व्यवस्था है। अतः कौशल विकास विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 11 अगस्त, 2023 के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. शासन के पत्र संख्या 149194/XXIV-2//23-07(08)2011, दिनांक 24 अगस्त, 2023 में कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 426/XXX(2)/2023-3(2)/2000, दिनांक 25 मई, 2012 के प्रस्तर–3 व प्रस्तर–4 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 92/XXX(2)/2021-3(15)/2012 दिनांक 01 अप्रैल, 2021 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उक्त आउटसोर्स के पदों पर चयन हेतु आरक्षण का प्राविधान किया गया है।

   उक्त में स्पष्ट प्राविधानित है कि "रिक्त हो रहे पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों/सेवाओं की व्यवस्था की जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में सेवा प्रदाता संस्था द्वारा ऐसे व्यक्तिओं को सेवा के लिए आबद्ध करने हेतु प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।" चूंकि प्रचलित आरक्षण नियम क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में भी लागू हैं। कृपया क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक–01.04.2021 के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. विद्यालयी शिक्षा विभाग के कार्यालयों/विद्यालयों में परिचारक तथा स्वच्छक/चौकीदार के आउटसोर्सिंग के पदों पर शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004 के नियम–10(1) में प्राविधानित व्यवस्था यथा "चपरासी, सन्देशवाहक या साइक्लोस्टाइल ऑपरेटर के पद पर भर्ती के लिये अभ्यर्थी कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये जो कम से कम देवनागरी लिपि में हिन्दी लिख और पढ़ सकता है।" के अनुसार यथाप्रक्रिया कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

/185251/2024 4. चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के चयन के सम्बन्ध में चूंकि विभाग द्वारा अनुबन्ध सीधे आउटसोर्सिंग एजेन्सी एवं आबद्ध किये जाने वाले व्यक्ति के मध्य किया जाना है, के दृष्टिगत उक्त पदों पर चयन प्रकिया के सम्बन्ध में सेवा प्रदाता/आउटसोर्स एजेन्सी से अपने स्तर से कार्यवाही सम्पादित करने का करें।

5. आउटसोर्स के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के चयन में आयु सीमा के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के शासनादेशानुसार यथा प्रचलित व्यवस्थानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

6. आउटसोर्स के माध्यम से चयनित कार्मिकों के E.P.F, E.S.I, Serivice के सम्बन्ध में बोनस भुगतान अधिनियम, 1996 की धारा 2(13), (14),(15) व (16) एवं "कर्मचारी भविष्यनिधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

7. आउटसोर्स मैन पावर हेतु अवकाश के सम्बन्ध में आउटसोर्स (उपनल) कार्मिकों हेतु शासनादेश सं0-735/XVII-5/2020-09(17)/2004-TC-1, दिनांक 21.08.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार अवकाश अनुमन्य करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

8. आउटसोर्स मैन पावर को केन्द्रीयकृत भुगतान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) को नोडल अधिकारी/DDO नामित किया जाता है।

9. उक्त निविदा का मूल्य प्रतिमाह रू0 3,54,60,000 तथा 11 माह का व्यय भार रू0 39,00,60,000/00 है। टेण्डर की धनराशि 1 करोड से अधिक होने कारण निविदा हेतु शासन से अनुमोदन लिया जाना होगा।

साथ ही एजेन्सी का चयन होने के उपरान्त कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक पाये जाने पर चयनित एजेन्सी का अनुबन्ध पुनः अगले वर्ष/11 माह हेतु नवीनीकरण किया जायेगा तथा अधिकतम 03 वर्ष तक नवीनीकरण किया जा सकेगा। उक्त पर शासन से अनुमति ली जानी होगी।

03- कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त कार्यवाही करते समय इस बात को ध्यान में भी रखने का कष्ट करें कि विषयगत प्रकरण से संबंधित राज्य सरकार के प्रचलित नवीनतम शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 25-01-2024 19:11:50

(रविनाथ रामन)
सचिव।

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

1. निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक,
महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।
4. अपर निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0 देहरादून।
5. अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0)
कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर, नैनीताल।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0/मा0)
उत्तराखण्ड।
9. ख0शि0अ0/उ0शि0अ0
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : सेवायें–03(3)/ 16317-27 /42(विविध)/2023–24 दिनांक: 29 जनवरी, 2024

विषय :– **राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य एवं दायित्व निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सं0–181834/XXX(2)/2023–E64958 दिनांक 12–01–2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

अतः शासन के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में दिये गये प्राविधानानुसार अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में कार्यरत समस्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य एवं दायित्व आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(रामकृष्ण सनियाल) 29/1/24
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0: सेवायें–3(3)/ 16317-27 /42(विविध)/2023–24 दिनांकः उक्तवत्।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(रामकृष्ण सनियाल) 29/1/24
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या: /XXX(2)/2023–E 64958
देहरादून: दिनांक 12 जनवरी, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं में मिनिस्टीरियल संवर्ग के अन्तर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य एवं दायित्व के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं :–

1. पदस्थापित कार्यालय में मिनिस्टीरियल संवर्ग का पर्यवेक्षकीय कार्य।
2. नीतिगत प्रकरणों को छोड़कर सामान्य स्तर के समस्त पत्राचार करना तथा नियंत्रक अधिकारी से अवलोकित कराना।
3. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित किये जाने पर पदस्थापित कार्यालय में पदोन्नति/स्थानान्तरण/समायोजन/एम०ए०सी०पी०/चयन–प्रोन्नत वेतनमान/स्थाईकरण/क्रय समिति आदि समितियों में सदस्य के रूप में कार्य करना।
4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर मिनिस्टीरियल संवर्ग के किसी भी कार्मिक के विरूद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी आख्या प्रस्तुत करना।
5. पदस्थापित कार्यालय/संस्था में आहरण–वितरण का कार्य करने वाले अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा अन्य प्रकार से पद रिक्त होने पर विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ऐसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने इस पद पर कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को वित्तीय नियमों के आलोक में आहरण–वितरण का कार्य दिया जाना।
6. दैनिक डाक मार्क करने एवं उनका निस्तारण व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ कार्मिकों से समन्वय स्थापित करना।
7. पदस्थापित कार्यालय के मिनिस्टीरियल संवर्ग के कार्मिकों के कार्य/पटल का निरीक्षण करना।
8. पदस्थापित कार्यालय में प्राप्त डॉक/पत्रों का निस्तारण कराते हुए पत्रावलियों पर अपना मंतव्य अंकित करने के पश्चात् उच्चाधिकारी को प्रस्तुत करना।
9. इसके अतिरिक्त पदस्थापित कार्यालय में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा समय–समय पर आवंटित कार्य किया जाना।

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 12-01-2024 12:36:33

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या: /XXX(2)/2023– E. 64958 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-SO, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 12/01/2024 01:19 PM

Scanned with OKEN Scanner

/78207/2023

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
ई-फा0सं0-178207 देहरादून: दिनांक 28 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात :–

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5– (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी	5– (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को

SPECIAL DRAFT

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BD, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 28/12/2023 03:06 PM

Scanned with CamScanner

सेवा में किसी पद पर, ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति :-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है।

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

शिथिल करते हुए सरकारी सेवा में समूह 'ग' अथवा समूह 'घ' के कनिष्ठ सहायक या समकक्ष पद पर, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति :-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है।

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(2) ऐसा सेवायोजन, यथासम्भव, उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 28-12-2023 12:54:02 (शैलेश बगौली)

Scanned with CamScanner

NO. PVD2-PR[illegible]

178543/2023

178543/2023

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

संख्या:178543/XXX (2)/2023–E 43208

देहरादून: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना संख्या:178539 /2023 दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
13. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
14. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 100 प्रतियाँ कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
19. गार्ड फाईल।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

Signed by Lalit Mohan Rayal
Date: 29-12-2023 13:41:20

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव।

Scanned with ACE Scanner

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या 1671/XXX(2)/2010
देहरादून दिनांक 23 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा राज्यपाल के नियम बनाने की प्रदत्त शक्तियों के अधीन किसी पद या सेवा में चयन द्वारा पदोन्नति के लिए लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2. यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य सेवा नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ख) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ग) 'सरकार' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है; और

(घ) 'पद' या 'सेवा' से संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा राज्यपाल के नियम बनाने की प्रदत्त शक्तियों के अधीन कोई पद या सेवा अभिप्रेत है।

अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण

4. यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो और पात्रता के क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो सरकार के प्रशासनिक विभाग, सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से यथास्थिति उक्त निम्नतर पद या पदों पर क्या निर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, ऐसी विहित न्यूनतम सेवा अवधि में पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलीकरण कर सकते हैं;

परन्तु यह कि किसी कार्मिक को पदोन्नति के लिए अर्हकारी

खोला जायेगा एवं उसमें आधार नम्बर/मोबाईल नम्बर इत्यादि को रक्षित कर वांछित अभिलेख अपलोड करते हुए तीनों (ऑपरेटर, सुपरवाईजर, ऑफिसर) स्तर से स्वीकृत किया जायेगा।

4. - पेंशनर द्वारा Google Play Store पर जाकर जीवन प्रमाण एवं Aadhar face RD app इन्सटॉल किया जायेगा। इस हेतु पेंशनर के पास अपनी ई–मेल आई.डी होनी आवश्यक है।

5. - जीवन प्रमाण एप का प्रयोग करते हुए अपने चेहरे को मोबाईल फोन की सहायता से स्कैन करते हुए ऑपरेटर के रूप मे स्वयं को पंजीकृत किया जायेगा।

6. - प्रथम बार डिजिटल जीवन प्रमाण हेतु पंजीकृत हो जाने के उपरान्त पेंशनर्स को भविष्य में जीवन प्रमाण पत्र देने हेतु कोषागार मे उपस्थित होने की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी।

7. - जो पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर कोषागार द्वारा www.jeevanpramaan.gov.in में पजीकृत हो जायेंगे, वे भविष्य में जीवन प्रमाण पत्र स्मार्ट फोन/टेबलेट/विन्डोज कम्प्यूटर पर एप्लीकेशन www.jeevanpramaan.gov.in से डाउनलोड कर फिंगरप्रिंट स्कैनर/आधार फेस आर.डी. एप (Aadhar face RD app) का प्रयोग करते हुए घर से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। इस हेतु वे नजदीकी जीवन प्रमाण केन्द्र/नागरिक सुविधा केन्द्र में भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिसकी सूची www.jeevanpramaan.gov. in वेबसाइट के locate a center link में दी गयी है।

8. - उक्त प्रक्रियानुसार पेंशनर का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जमा होने के फलस्वरूप जीवन प्रमाण वेबसाईट द्वारा SFTP सर्वर के माध्यम से आईएफएमएस सर्वर को उपलब्ध हो जायेगा एवं उपलब्ध डाटा के आधार पर वित्तीय डाटा सेण्टर द्वारा कोषागार स्तर पर एक MIS रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

9. - कोषागार द्वारा उक्त MIS रिपोर्ट की जांच कोषागार स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों/डाटा से करते हुए पेंशनर्स के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत किये जायेंगे, जिसकी सूचना SMS के माध्यम से पेंशनर्स को दी जायेगी। उक्त रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की भिन्नता के समाधान हेतु आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत सपोर्ट विकल्प के माध्यम से निदेशक कोषागार को अवगत कराया जायेगा।

10. - डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) नवीन व्यवस्था वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। नवीन व्यवस्था को लागू किये जाने से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रियात्मक जानकारी हेतु www.jeevanpramaan.gov.in पर जाकर अथवा सम्बन्धित कोषागार से सम्पर्क किया जा सकता है।

11. - जो पेंशनर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा पुनर्विवाह नहीं किये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– उक्त व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक कोषागार अपने जनपदों में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे तथा पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के विभिन्न संगठनों को उक्त नवीनतम ऑनलाईन व्यवस्था से अवगत करायेंगे एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अपना "डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र" ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रोत्साहित एवं सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे।

उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhi
Date: 13-12-2023 16:19:

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with ACE Scanner

संख्या–/749624/XXVII(6)/ई 18373/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. - सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. - सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. - मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. - महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
5. - महालेखाकार, ऑडिट, वैभव पैलेस, देहरादून।
6. - समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. - आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
8. - मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. - मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर।
10. - मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर/देहरादून।
11. - क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।
12. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. - निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. - समस्त वित्त नियंत्रक/आहरण–वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. - राज्य एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
16. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अपर मुख्य सचिव।

Scanned with ACE Scanner

174666/2023

उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

संख्याः 74666 /XXX-2/2023-E 64958

देहरादूनः दिनांकः 13 दिसम्बर, 2023

विज्ञप्ति

सम्यक् विचारोपरान्त, श्री राज्यपाल मिनिस्टीरियल संवर्ग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद को एतद्द्वारा राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 13-12-2023 12:09:31

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्याः 74666 (1)/XXX-2/2023-E 64958 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की (हरिद्वार) को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Alok Kumar Singh
Date: 13-12-2023 12:48:27

(आलोक कुमार सिंह)
उप सचिव।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-GG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 13/12/2023 01:04 PM

प्रेषक

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

(अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध)

सेवामें

1–मण्डलीय अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल
2–मण्डलीय अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
3–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पत्रांक/सेवा–3(1)/127/ 14452-62 /2023–24 दिनांक 14 दिसम्बर 2023

विषय– कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–57/05/2021 P&PW(B) दिनांक 03 मार्च 2023 में उल्लिखित व्यवस्था को उत्तराखण्ड राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–173111/XXIV-A-1/2023/29638/2022 बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 दिनांक 05 दिसम्बर 2023 व अपर सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 27057/2023 दिनाक 07 नवम्बर 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–57/05/2021 P&PW(B) दिनांक 03 मार्च 2023 में उल्लिखित व्यवस्था को उत्तराखण्ड राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में है।

चूँकि आप शिक्षणेत्तर कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी है, अतः उक्त के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 05 दिसम्बर 2023 के साथ संलग्न अपर सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 27057/2023 दिनाक 07 नवम्बर 2023 के पत्र की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना में दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित शिक्षणेत्तर कार्मिकों के विकल्प पत्र/सेवा अभिलेखों का भली भांति परीक्षण करते हुए पत्र मे दिये गये निर्देशानुसार तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(रामकृष्ण डनियाल) 14/12/23
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्या/सेवायें–3/(1)/127/ 14452-62 /2023–24 दिनांक–उक्तवत्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड/अकादमिक शोध एंव प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. अपर निदेशक,एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
6. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

14/12/23
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

FIN10-P/1/2022-XXVII-10-Finance Department

I/167341/2023

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग–10
संख्या–27057/2023
देहरादूनः दिनांक– नवम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य में वेतन एवं पेंशन की समता (Parity) भारत सरकार से होने के दृष्टिगत् वित्त मंत्रालय (Department of Economic Affairs) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–5/7/2003–ECB&PR, दिनांक–22 दिसम्बर, 2003 के क्रम में वित्त (सामान्य नियम–वेतन आयोग) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–21/xxvii(7) अं0पे0यो0/2005, दिनांक–25 अक्टूबर, 2005 के द्वारा राज्य में दिनांक–01 अक्टूबर, 2005 से नई पेंशन योजना (एन0पी0एस0) लागू है। इसी क्रम में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–57/05/2021–P&PW(B), दिनांक–03 मार्च, 2023 में उल्लिखित व्यवस्था को उत्तराखण्ड राज्य में भी समग्र रूप से (in toto) लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

02. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–57/05/2021–P&PW(B), दिनांक–03 मार्च, 2023 के द्वारा "ऐसे सभी मामलों में जहाँ केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक–22 दिसम्बर, 2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक–01 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए। इस विकल्प का प्रयोग सम्बन्धित सरकारी सेवक दिनांक–31 अगस्त, 2023 तक कर सकते है"।

03. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–57/05/2021–P&PW(B), दिनांक–03 मार्च, 2023" में उल्लिखित व्यवस्था के क्रम मे उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए नवीन पेंशन योजना की दिनांक–01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक–01 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018 एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022 के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए। इस विकल्प का प्रयोग सम्बन्धित सरकारी सेवक दिनांक–15 फरवरी, 2024 तक अपने नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकते हैं"।

04. ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त प्रस्तर–03 के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नही करते है, वे नवीन पेंशन योजना द्वारा आच्छादित रहेंगे।

05. एक बार प्रयोग किया गया विकल्प, अंतिम होगा।

06. सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के आधार पर, उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) संशोधन रूल्स, 2005, उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018 एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022 के अधीन आच्छादित करने से सम्बन्धित मामले को, इस निर्देश के अनुसार उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा। यदि सरकारी कर्मचारी, उक्त के अनुरूप कवर किये जाने के लिए शर्तो को पूरा करता है, तो इन निर्देशों के अनुसार, इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश निर्गत किये जायेंगे। फलस्वरूप, ऐसे सरकारी सेवकों का एन0पी0एस0 खाता आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से बंद कर दिया जायेगा।

07. ऐसे सरकारी कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) संशोधन रूल्स, 2005, उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018 एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022 के अधीन पेंशन योजना में अंतरण करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) की सदस्यता लेनी होगी।

(i) **खातों में कर्मचारियों के अशंदान का समायोजनः** नई पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी एवं राज्य सरकार के अशंदान से निर्मित पेंशन फंड की कुल धनराशि में से कर्मचारी अशंदान को सम्बन्धित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) खाते में जमा किया जायेगा। इस धनराशि पर आज की तारीख तक के ब्याज को अनुज्ञात करते हुए खाते का पुर्ननिर्धारण किया जायेगा।

(ii) **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में सरकारी अशंदान का समायोजन :** इसी प्रकार नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी एवं राज्य सरकार के अशंदान से निर्मित पेंशन फंड की कुल धनराशि में से सरकारी अशंदान को राज्य सरकार के खाते में जमा किया जायेगा।

(iii) नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी एवं राज्य सरकार के अशंदान से निर्मित पेंशन फंड को निवेश करने पर जो भी वर्धित मूल्य (increased value of subscription on account of **appreciation** on investments) प्राप्त हो, उसे राज्य सरकार के खाते में जमा किया जायेगा।

08. उक्त व्यवस्था की लेखांकन प्रक्रिया (accounting procedure) निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी द्वारा महालेखाकार, (A&E) उत्तराखण्ड के परामर्श से उचित समय पर वर्णित की जायेगी।

09. राज्य के समस्त राजकीय विभागों से अनुरोध है कि इन आदेशों का अनिवार्य रूप

विकल्प पत्र

1. नाम
2. पदनाम
3. वेतनमान
4. विभाग का नाम
5. विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम
6. विज्ञप्ति तिथि
7. विभाग में नियुक्ति तिथि
8. विभाग में योगदान तिथि
9. सेवानिवृत्ति की तिथि

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....पुरानी पें
योजना ( )/नवीन पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दि
गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम .....

घोषणा पत्र

मैं.....पदनाम.....यह घोषणा करता/कर
हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 09 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्व
कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है।

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम .....

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री/श्रीमती .....पदनाम.....को उपरो
तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ( )/नई पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित वि
जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान1की जाती है।

Generated from eOffice by ANAND BARDHAN, ACS-Finance-AB, ADDITIONAL CHIEF SECRETARY , Finance Departmen

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तु

प्रेषक,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

सेवा में,

1. अपर निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

2. जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड

पत्रांक : प्रा०शि०-दो(2)/517-2021/ 4559-60 /2023-24 दिनांक : 14 जून, 2023

विषय : उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में दिव्यांगजनों को समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017 दिनांक 05-06-2023 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में दिव्यांगजनों को समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन निर्धारित किया गया है। उक्त शासनादेश द्वारा प्राविधानित किया गया है कि यदि आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सकती है तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जायेगा। विभागवार चिन्हांकित पदों के सापेक्ष बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित पदों का विवरण संलग्न है।

अतः शासनादेश संख्या-48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017 दिनांक 05-06-2023 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय

(बन्दना गैरोला)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून

~ 06/23

संख्या– 48 /XVII-A-3/2023–01(11)/वि0क0/2017

प्रेषक,

एल० फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांयू ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–03 देहरादून, दिनांक 5 जून, 2023

विषय– उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में दिव्यांगजनों को समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुर्नचिन्हांकन।

महोदय,

दिव्यांगजनों के हित संरक्षण एवं उनके सामाजिक व आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरसित करते हुए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (The Right Of Persons With Disabilities ACT, 2016) लागू किया गया है। इस अधिनियम की धारा–33 में दिव्यांगजन को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आरक्षण हेतु पदों के चिन्हांकन किये जाने का प्राविधान है।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–112/XXX-2/2018-30(05)/2014 दिनांक 14 जून, 2018 द्वारा दिव्यांगजन के लिए लोक सेवाओं में 4 प्रतिशत पदों के आरक्षण के आदेश जारी किये गये हैं। इस हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवाओं और पदों में रिक्तियों का एक–एक प्रतिशत खण्ड (क) (ख) एवं (ग) और एक प्रतिशत खण्ड (घ) एवं (ङ) के अधीन निम्नलिखित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है :–

(क) दृष्टिहीनता और निम्न दृष्यता।
(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास।
(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसीड हमले से पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण।
(घ) स्वपरायणता (Autism), बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता।

क्रमशः.........

(ङ) उपर्युक्त खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है।

3. उक्त के दृष्टिगत उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की नियमावली-2016 की धारा 33 के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2019 के नियम 10(1) के प्राविधानानुसार गठित विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के क्रम में पदों के चिन्हांकन के निमित्त पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए, संलग्न सूची के अनुसार विभागवार एवं पदवार पदों के पुनर्चिन्हांकन का निर्णय लिया गया है।

4. संलग्न सूची में चिन्हांकित पदों के अतिरिक्त समस्त विभागों के समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के शेष सभी पद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-34 के परन्तुक के अन्तर्गत दिव्यांगजन के आरक्षण से उन्मोचित समझे जायेंगे।

5. दिव्यांगजनों के लिए संलग्न सूची में विभागवार चिन्हांकित पदों के अनुसार नियुक्ति सुनिश्चित की जाये। यदि आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण भरी नहीं जा सकती है तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जायेगा।

6. कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
05/6/23
(एल० फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या [illegible]

समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2019 के अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु पदों के चिन्हांकन के सम्बन्ध में गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा:-

विभाग की सूची

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम
1	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	35	राज्य संपत्ति विभाग
2	आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग	36	लघु सिंचाई विभाग
3	आबकारी विभाग	37	लोक निर्माण विभाग
4	आयुष विभाग	38	वन विभाग
5	आवास विभाग	39	वित्त विभाग
6	औद्योगिक विकास विभाग	40	सचिवालय प्रशासन विभाग
7	उच्च शिक्षा विभाग	41	समाज कल्याण विभाग
8	उद्यान एवं रेशम विभाग	42	सहकारिता विभाग
9	ऊर्जा विभाग	43	सामान्य प्रशासन विभाग
10	कार्मिक विभाग	44	सिंचाई विभाग
11	कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग	45	संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग
12	कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग	46	संस्कृत शिक्षा विभाग
13	खेल विभाग	47	सूचना विभाग
14	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	48	सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
15	ग्राम्य विकास विभाग	49	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
16	ग्रामीण निर्माण विभाग	50	शहरी विकास विभाग
17	गृह विभाग	51	श्रम विभाग
18	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग	52	
19	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	53	
20	जलागम विभाग	54	
21	न्याय विभाग	55	
22	नियोजन विभाग	56	
23	निर्वाचन विभाग	57	
24	पंचायतीराज विभाग	58	
25	पशुपालन विभाग	59	
26	पर्यटन विभाग	60	
27	पेयजल विभाग	61	
28	परिवहन विभाग	62	
29	प्राविधिक शिक्षा विभाग	63	
30	बेसिक शिक्षा विभाग	64	
31	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	65	
32	माध्यमिक शिक्षा विभाग	66	
33	युवा कल्याण विभाग	67	
34	राजस्व विभाग	68	

CATEGORY ABBREVIATION USED
वर्गीकरण से सम्बन्धित प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ

S.No.	CATEGORY CODE		ABBREVIATION USED	
	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी
1	B.	बी०	Blind	दृष्टिहीनता
2	L.V./P.B.	एल०वी०/पी०बी०	Low Vision/Partially Blind	कमदृष्टि/आंशिक दृष्टिहीन
3	D	डी०	Deaf	बधिर
4	H.H./P.D.	एच०एच०/पी०डी०	Hard of Hearing/Partially deaf	श्रवण शक्ति में ह्रास/आंशिक बधिर
5	O.A.	ओ०ए०	One Arm Affected (1) Impaired reach (2) Weakness of grip (3) Ataxic	एक हाथ प्रभावित (1) पैरों पर खड़े होने में असमर्थता (2) पकड़ने में असमर्थता (3) स्नायु दुर्बलता
6	O.L.	ओ०एल०	One Leg Affected	एक पैर प्रभावित
7	B.A.	बी०ए०	Both Arms Affected (1) Inpaird (2) Weakness of grip	दोनों हाथ प्रभावित (1) ह्रासित (2) कमजोर पकड़
8	B.L.	बी०एल०	Both Legs Affected	दोनों पैर प्रभावित
9	B.L.A.	बी०एल०ए०	Both Legs and both arm affected	दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित
10	B.H.	बी०एच०	Stiffback and hips (cannot sit or stoop)	स्टिफ बैक एण्ड हिप्स(बैठ नहीं सकते)
11	O.A.L.	ओ०ए०एल०	One Arm and One Leg Affected	एक पैर और एक हाथ प्रभावित
12	C.P.	सी०पी०	Cerebral Palsy	प्रमस्तिष्क घात
13	L.C.	एल०सी०	Leprosy Cured	रोगमुक्त कुष्ठ
14	Dw.	डी०डब्ल्यू०	Dwarfism	बौनापन
15	A.A.V./A.V.	ए०ए०वी०/ए०वी०	Acid Attack Victims/Acid Victims	एसिड आक्रमण पीड़ित/एसिड पीड़ित
16	A.S.D.	ए०एस०डी०	Autism Spectrum Disorder	स्वपराश्रयता
17	S.L.D.	एस०एल०डी०	Specific Learning Disability	विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता
18	I.D.	आई०डी०	Intellectual Disability	बौद्धिक दिव्यांगता
19	M.Dy./M.W.	एम०डी०वाई०/एम०डब्ल्यू	Muscular Dystrophy/Muscular weakness and limited physical	पेशीय दुष्पोषण/मांसपेशी की कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति
20	M.I.	एम०आई०	Mental Illness	मानसिक अस्वस्थता
21	M.D.	एम०डी०	Multiple Disabilities	बहु दिव्यांगता
22	Th.	टी०एच०	Thalassaemia	थैलेसीमिया
23	Hp.	एच०पी०	Hemophilia	हीमोफीलिया

I/183994/2024

संख्या: 183994 /XXX(2)/2024/E-33080

प्रेषक,

शैलेश बगौली
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 23 जनवरी, 2024

विषय: उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में संशोधन विषयक।

महोदय,

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–27 में अधिनियम के क्रियान्वयन में कठिनाई का निवारण के संबंध में प्राविधान है कि :–

इस अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त अन्य विभागों की वार्षिक स्थानान्तरण नीतियों/अधिनियमों पर इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा:

परन्तु यह कि यदि किसी विभाग द्वारा अपने विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण इस अधिनियम के किसी प्राविधान में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो अथवा कार्यहित में कोई विचलन किया जाना आवश्यक हो अथवा कोई छूट अपरिहार्य हो तो ऐसे परिवर्तन/विचलन/छूट हेतु प्रस्ताव सकारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस समिति की संस्तुति पर मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के उपरान्त ही वांछित परिवर्तन/विचलन/छूट अनुमन्य होगा।

अतः उपरोक्त समिति द्वारा प्रदत्त संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(3) के सन्दर्भ में सुगम से सुगम पारस्परिक स्थानान्तरण भी किया जा सकेगा किन्तु ऐसे कार्मिकों की वर्तमान सुगम की सेवा अवधि, पारस्परिक स्थानान्तरण उपरान्त तैनाती स्थान में जोड़ी जायेगी और दोनों स्थानों में जोड़कर कुल चार वर्ष की सेवा होने के उपरान्त कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–7(क) की श्रेणी में माने जायेंगे।

भवदीय,

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 22-01-2024 14:35:16

(शैलेश बगौली)
सचिव।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 23/01/2024 05:40 PM